फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारूलाल **विपक्षी : श्री बाबुलाल**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 162/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 08.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादीगण शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री नारूलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री शंकरलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री खुमाणचन्द का पेश किया। वादीगण द्वारा दस्तावेज के रूप में जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, फोटोग्राफ प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 पेश किये।

प्रकरण में वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 4 उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। खातेदार काश्तकार नहीं होते हुए भी प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से कब्जे में लगातार दखलन्दाजी करते आ रहे हैं। वादीगण की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हैं। वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया हैं। इससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 2547 किता 1 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.04.19 13:56:07 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रवण सिंह राठौड, R.A.S

उनवान

1. श्री नारूलाल पिता कुशाल नाई निवासी मांगथला तह. मावली।
2. श्री शंकरलाल पिता भंवरलाल नाई निवासी मांगथला तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री बाबुलाल पिता लोगर डांगी निवासी वावडी मांगथला तह. मावली।
2. श्री नाथु पिता उंकार डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
3. श्री मन्नाराम पिता भेरा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
4. श्री कालु पिता उदा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 162/21 (वाद) GCMS No. – 2021/314

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रवण सिंह राठौड, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 2547 किता 1 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.04.2022 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.04.19 13:56:07 IST
Reason: SelfAttested